**लोक लेखा समिति**

**लोक लेखा समिति**

(1) जैसे ही विधानसभा के पहले सत्र की शुरुआत हो, लोक लेखा पर एक समिति का गठन इस नियम के प्रावधानों के अधीन,किया जाए।

(2) समिति का कार्य हरियाणा सरकार के व्यय को पूरा करने के लिए विधानसभा द्वारा दी गई राशि के विनियोग को दर्शाने वाले लेखाओं और विधानसभा के समक्ष रखे जाने वाले ऐसे अन्य लेखाओं, जिन्‍हें समिति उचित समझे, की जांच करने होंगा।

(3) लोक लेखा समिति में नौ से अधिक सदस्य नहीं होंगे जो एकल हस्तांतरणीय वोट के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार अपने सदस्यों में से विधानसभा द्वारा चुने जाएंगे।

(4) समिति के सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष का होगा।

(5) समिति में आकस्मिक रिक्तियों को उनकी उत्‍पति के बाद उपर्युक्‍त तरीके से यथाशीघ्र चुनाव द्वारा भरा जाएगा और जो व्‍यक्ति ऐसी रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित होगा वह तब तक पद धारण करेगा जब तक कि वह व्‍यक्ति जिसके स्थान पर वह निर्वाचित होगा, इस नियम के प्रावधानानुसार पद धारण किया होता।

(6) समिति की एक बैठक के कोरम में तीन सदस्‍य होंगे।

(7) (क) समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति विधानसभा अध्‍यक्ष के द्वारा सदस्यों में से की जाएग:

बशर्ते कि यदि विधानसभा उपाध्‍यक्ष समिति का सदस्य हो तो उसे समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा:

बशर्ते, कि यदि विगत वित्तीय वर्ष के दौरान समिति के अध्यक्ष ने दो साल से कम समय के लिए अध्यक्ष के रूप में कार्य किया हो और उसे समिति का सदस्य चुना गया हो, तो विधानसभा अध्‍यक्ष पहले प्रावधान या नियम 206(1) के बावजूद, उसे समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकता है।

(ख) यदि अध्यक्ष किसी कारणवश कार्य करने में असमर्थ है, तो विधानसभा अध्‍यक्ष उसी प्रकार किसी अन्य को उसकी जगह अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है।

(ग) यदि समिति की किसी भी बैठक में अध्यक्ष अनुपस्थित रहता है, तो समिति उस बैठक में अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए किसी अन्य सदस्य को चुनेगी।

(8) किसी भी मामले पर मतों की समानता के मामले में अध्यक्ष के पास दूसरा या निर्णायक मत होगा।

(9) समिति एक या एक से अधिक उप-समिति की नियुक्ति कर सकती है, जिनमें से प्रत्येक के पास अविभाजित समिति की शक्तियाँ होंगी, जो उनके पास भेजे जाने वाले किसी भी मामले की जांच कर सकेगी, और ऐसी उप-समितियों की रिपोर्टों को पूरी समिति की रिपोर्ट मानी जाएगी, यदि वे पूरी समिति की बैठक में अनुमोदित होती हैं।

(10) समिति, यदि यह उचित समझती है, तो सदन को प्रस्तुतिकरण से पहले अपनी रिपोर्ट के किसी भी पूर्ण भाग को सरकार को उपलब्ध करा सकती है। सदन के सामने प्रस्तुत किए जाने तक ऐसी रिपोर्टों को गोपनीय माना जाएगा।

(11) समिति, परीक्षाधीन लेखाओं से संबंधित कार्मिकों को सुन सकती है या साक्ष्‍य ले सकती है। समिति का यह विशेषाधिकार होगा कि वह उसके समक्ष प्रस्‍तुत किए गए किसी साक्ष्य को गुप्त या गोपनीय रखे।

(12) (क) विधानसभा अध्यक्ष, समय-समय पर, समिति के अध्यक्ष को ऐसे निर्देश जारी कर सकता है जिन्‍हें वह इसके कार्य की प्रक्रिया और संगठन को विनियमित करने के लिए आवश्यक समझे।

(ख) यदि प्रक्रिया के किसी भी बिंदु पर कोई संदेह उत्पन्न होता है या अध्‍यक्ष उसे अन्यथा समझता है, तो उस बिंदु को विधानसभा अध्‍यक्ष को भेज सकता है, जिनका निर्णय अंतिम होगा।

(13) समिति के पास विधानसभा अध्यक्ष के विचार के लिए भेजे जाने वाली प्रक्रिया पर संकल्‍प पारित करने की शक्ति होगी, जो प्रक्रिया में ऐसे बदलाव कर सकता है जिन्‍हें वह आवश्यक समझे।

(14) समिति, विधानसभा अध्यक्ष के अनुमोदन से, इन नियमों में निहित प्रावधानों को प्रबल बनाने के लिए प्रक्रिया के विस्तृत नियम बना सकती है।

**लोक लेखाओं पर समिति के कार्य**

(1) हरियाणा सरकार के विनियोग लेखाओं और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट की जांच करने के बाद, लोक लेखा समिति का कर्तव्य होगा कि वह स्वयं को संतुष्ट करे-

(क) कि लेखाओं में दर्शाई गई राशि, जो वितरित की गई, कानूनी रूप से उस सेवा या उद्देश्य के लिए उपलब्ध थी, जिस पर उसे लागू या प्रभारित किया गया था;

(ख) कि व्यय उस प्राधिकार के अनुरूप है जो इसे नियंत्रित करता है; तथा

(ग) सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत इस संबंध में किए गए प्रावधानों के अनुसार सभी पुनर्विनियोजन किए गए है:

बशर्ते कि ऊपर खंड (ग) में दिया गया प्रावधान वर्ष 1950-51 से पहले के किसी भी लेखा पर लागू नहीं होगा।

(2) समिति का यह कर्तव्य भी होगा:-

(क) ऐसे व्यापार, विनिर्माण तथा लाभ एवं हानि लेखाओं और बैलेंस-शीट जैसा कि राज्यपाल को तैयार करवाने की आवश्यकता हो और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर जांच करना;

(ख) उन मामलों में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए, जहां राज्यपाल को किसी प्राप्तियों की लेखापरीक्षा कराने या स्टोर और स्टॉक के खातों की जांच करने की आवश्यकता हो सकती है।